न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/244
मुकदमा नम्बर 75/2025 दर्ज दिनांक– 20.05.2025

नारूराम सैनी पुत्र लादूराम सैनी जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 15 धरनीधर की ढाणी, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सुरेश कुमार सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चैलासी ढहर पटवार हल्का चेलासी की सरहद में खाता सं. नया 98 पुराना 162 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 564 रकबा 0.7500 है0 प्रार्थी संख्या का **नाम नाहरसिंह पुत्र लादूराम के स्थान पर नारूराम सैनी पुत्र लादूराम सैनी** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक/भू.अ./2025/8757 दिनांक 15.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/भू.अ./2025/8757 दिनांक 15.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चैलासी ढहर पटवार हल्का चेलासी की सरहद में खाता सं. नया 98 पुराना 162 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 564 रकबा 0.7500 है0 प्रार्थी संख्या का **नाम नाहरसिंह पुत्र लादूराम के स्थान पर नारूराम सैनी पुत्र लादूराम सैनी** दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/8757 दिनांक 5.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक मलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल फ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक (०.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला (झुंझुनूं)